

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र



मुद्रक एवं विक्रेता :

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड

जी-1/138, मालवोय इण्ड. ऐरिया, जयपुर । फोन : 2751352, 2751417

प्राप्ति स्थल :

राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.

पोलोविकट्री के पास, जयपुर-1 फोन : 2374969

शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिवृत्त पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान के पंजीयन हेतु कुल 24 आवेदक सदस्य हैं।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी संस्थान उद्देश्य वाला संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थाओं को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाओं को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।



अध्यक्ष
स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ़ (जयपुर)

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ़ (जयपुर)

सत्यापन

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ़ (जयपुर)

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाओं को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष
स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ़ (जयपुर)

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ़ (जयपुर)

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
गोविन्दगढ़ (जयपुर)

नोट :- यह शपथ पत्र रुपये 10/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

ATTESTED BY

9-3-2006
NOTARY PUBLIC
CHOMU Distt, JAIPUR

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाएँ प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।
---------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	---	--

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र
हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
---------	----------------------	-----------------------	--

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।
10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

स्थान

संस्थान

विधान (नियमावली)

तथा

संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात् :-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, ¹(खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थायी निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

1. राज. राज-पत्र विशेषांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।
15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।
16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।
17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।
18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।
19. अन्य संस्थाएँ जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।
20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।
21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
22. अधिसूचना क्रमांक प.4 (5) कृषि-4/सड./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय गोविन्दगढ़, जयपुर है
तथा कार्यक्षेत्र :
तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
 1. स्वयं की इच्छा एवं योग्यता के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास करने वाली शिक्षा को प्रदान करना।
 2. जीवन के खुले और विस्तृत, विकसित दृष्टिकोण का विकास करना।
 3. सुन्दर, स्वस्थ और आदर्श नागरिकता का भाव पैदा करना।
 4. शिक्षा सम्बन्धी खोज एवं प्रयोग करना।
 5. उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना तथा उसकी व्यवस्था करना।
 6. उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों / शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना करना।
 7. बिना लाभ हानि के शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना।
 8. रोजगारोन्मुख शिक्षा एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देना।
 9. तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना।

10.

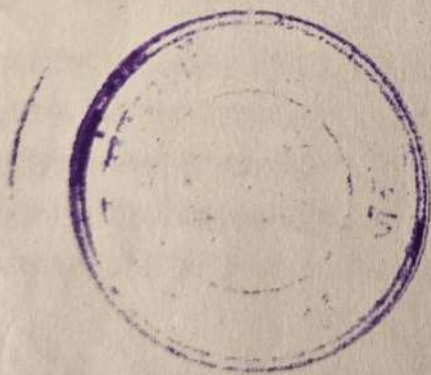
11.

12.

13.

14.

15.



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

अध्यक्ष

मंत्री

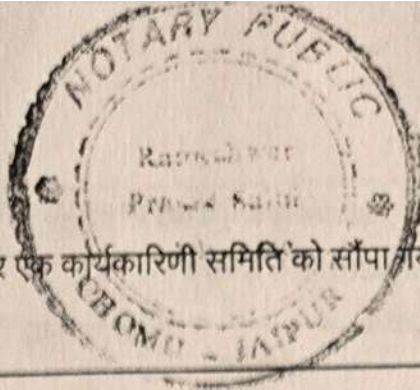
सचिव

ATTESTED BY (4)

व. ३. २००८

NOTARY PUBLIC
CHOMU Distt, JAIPUR

कोषाध्यक्ष
गोविन्दगढ़ (जयपुर)



4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	बजरंग लाल चौहान ५० श्री पूरणमल चौहान	सेवानिवृत्त	गोविन्दगढ़	अध्यक्ष
2.	आशाराम निठारवाल ५० श्री हनुमान सहाय	अध्यापक	रींगस	उपाध्यक्ष
3.	बजरंग सिंह ५० श्री गंगूराम	व्यापार	गोविन्दगढ़	सचिव
4.	बनवारी लाल ५० श्री आशाराम निठारवाल	व्यापार	गोविन्दगढ़	कोषाध्यक्ष
5.	हनुमान सहाय यादव ५० श्री बासीराम यादव	व्यापार	गोविन्दगढ़	सदस्य
6.	मनोज कुमार शर्मा ५० श्री मालीराम शर्मा	व्यापार	गोविन्दगढ़	सदस्य
7.	किशोर कुमार जाँगिड ५० श्री बंशीधर जाँगिड	व्यापार	गोविन्दगढ़	सदस्य
8.	अमित कुमार कुमावत ५० श्री रुद्रमल कुमावत	व्यापार	गोविन्दगढ़	सदस्य
9.	खिशन लाल यादव ५० श्री बीजाराम यादव	व्यापार	गोविन्दगढ़	सदस्य
10.	प्रहलाद यादव ५० श्री लालाराम यादव	व्यापार	सिंगोद	सदस्य
11.	बंशीधर जाट ५० श्री तेनाराम जाट	व्यापार	लाखनी	सदस्य
12.	शंकर लाल अग्रवाल ५० स्व. श्री बंशीधर अग्रवाल	व्यापार	गोविन्दगढ़	सदस्य
13.	मदन लाल जाँगिड ५० श्री सुखदेव जाँगिड	सेवानिवृत्त	गोविन्दगढ़	सदस्य
14.	गिरधारी लाल निठारवाल ५० श्री मोलिकाराम	अध्यापक	सीतारामपुरा	सदस्य
15.	मालीराम यादव ५० श्री हीरालाल यादव	सेवानिवृत्त	गोविन्दगढ़	सदस्य

ATTESTED BY

अध्यक्ष
अध्यक्ष
NOTARY PUBLIC
CHOMU Distt. JAIPUR (5)

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला निवासी पुनर्गोप में निवासी स्व. कु. लक्ष्मी बघाला निवासी पुनर्गोप में निवासी
गोविन्दगढ़ (रा. पु.)

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	बजरंग लाल चौहान ५० श्री प्रणमल चौहान	सेवानिवृत्त	गोविन्दगढ़	
2.	आशाराम निठारवाल ५० श्री हनुमानसहाय	अध्यापक	रौंगस	
3.	बजरंग सिंह ५० श्री गंगूराम	व्यापार	गोविन्दगढ़	
4.	बनवारी लाल ५० श्री आशाराम निठारवाल	व्यापार	गोविन्दगढ़	
5.	हनुमान सहाय यादव ५० श्री घासीराम यादव	व्यापार	गोविन्दगढ़	
6.	मनोज कुमार शर्मा ५० श्री मालीराम शर्मा	व्यापार	गोविन्दगढ़	
7.	किशोर कुमार जांगिड ५० श्री बंशीधर जांगिड	व्यापार	गोविन्दगढ़	
8.	अमित कुमार कुमावत ५० श्री रुद्रमल कुमावत	व्यापार	गोविन्दगढ़	
9.	हीगन लाल यादव ५० श्री बीजाराम यादव	व्यापार	गोविन्दगढ़	
10.	प्रहलाद यादव ५० श्री लालाराम यादव	व्यापार	सिंगेद	
11.	बंशीधर जाट ५० श्री तोताराम जाट	व्यापार	बारबनी	
12.	शंकर लाल अग्रवाल ५० स्व. श्री बंशीधर अग्रवाल	व्यापार	गोविन्दगढ़	
13.	मदन लाल जांगिड ५० श्री सुखदेव जांगिड	सेवानिवृत्त	गोविन्दगढ़	
14.	गिरधारी लाल निठारवाल ५० श्री मोलिकाराम	अध्यापक	सीतारामपुरा	
15.	मालीराम यादव ५० श्री हीरालाल यादव	सेवानिवृत्त	गोविन्दगढ़	
16.	चौधमल यादव ५० स्व. श्री हीरमल यादव	कृषि	गोविन्दगढ़	
17.	महेन्द्र कुमार कुमावत ५० श्री घीसालाल	व्यापार	गोविन्दगढ़	
18.	बाबूलाल कुमावत ५० श्री चौधमल कुमावत	अध्यापक	गोविन्दगढ़	

अध्यक्ष
अध्यक्ष

मन्त्री
(6) विव

कोषाध्यक्ष

ATTESTED BY

9.2.2000

NOTARY PUBLIC
CHOMU DIST, JAIPUR

हम कु. लक्ष्मी बहाला निवासी पूर्ण गांधी रोड, गोविन्दगढ़ (जयपुर) कोषाध्यक्ष के द्वारा

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.	फूलचन्द जाट S/o श्री कन्हैया लाल	अध्यापक	सीतारामपुरा	
20.	कुसुमलता W/o विनोद कुमार	गृहणी	लगड	कुसुमलता श्रीवा
21.	मीमी प्रियंका W/o सुरेन्द्र कुमार	गृहणी	नवलगढ़	प्रियंका श्रीवा
22.	रविशंकर सिंह गौड़िया S/o श्री मोक्ष राम गौड़िया	आध्यापक	टी.नरिपाराडी रोड	
23.	भाग्य चन्द जाट S/o श्री सुभाष राम	अध्यापक	पंजाल	
24.	हनुमान सहाय झाझडिया	कृषि	नांगल कली गोविन्दगढ़	हनुमान सहाय
25.				



30.

31.

32.

1. संस्था का पंजियन क्रमांक	707
2. संस्था का नाम	स्वायत्त संस्था
3. किस्त दस्तावेज	1500 रु
4. दस्तावेज की संख्या	16
5. दिनांक पंजियन	31/12/06
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार	

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

उद्देश्य 2-च। 2-च

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

उद्देश्य 2-च। 2-च S/o श्री रामानंद लाल जाट
वाई.नं. 1 पंचायत गोविन्दगढ़
जिला (जोधपुर)

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

उद्देश्य 2-च। 2-च S/o श्री रामानंद लाल जाट
वाई.नं. 1 पंचायत गोविन्दगढ़
जिला (जोधपुर)

अध्यक्ष

अध्यक्ष

मंत्री

ATTESTED BY

9.12.2006

स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।
2. पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय गोविन्दगढ़, जयपुर है तथा कार्यक्षेत्र है तथा इसका कार्यक्षेत्र जयपुर - जिला क्षेत्र तक सीमित होगा।
3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-
 1. स्वयं की इच्छा एवं योग्यता के अनुसार व्यक्ति का पूर्ण विकास करने वाली शिक्षा को प्रदान करना।
 2. जीवन के खुले, विस्तृत और विकसित दृष्टिकोण का विकास करना।
 3. सुन्दर स्वस्थ और आदर्श नागरिकता का भाव पैदा करना।
 4. शिक्षा सम्बन्धी खोज एवं प्रयोग करना।
 5. उच्च शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा उसकी व्यवस्था करना।
 6. उच्च शिक्षा हेतु अधिविद्यालयों/ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना करना।
 7. बिना लाभ-हानि के शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना।
 8. रोजगारोन्मुख शिक्षा एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देना।



उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

ATTESTED BY

मन्त्री

(अधिवक्ता)

कोषाध्यक्ष

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान

9.2.2006

NOTARY PUBLIC

CHOMU Dist. JAIPUR

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।



1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

- | | |
|-------------|-----------|
| 1-संरक्षक | 2-विशिष्ट |
| 3-सम्माननीय | 4-साधारण |
- (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

: उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 1-संरक्षक | राशि.....21,000/-.....वार्षिक/आजन्म |
| 2-विशिष्ट | राशि.....11,000/-.....वार्षिक/आजन्म |
| 3-सम्माननीय | राशि.....10,000/-.....वार्षिक |
| 4-साधारण | राशि.....5,000/-.....वार्षिक |

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु..... की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन

: संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

- 1-मृत्यु होने पर
- 2-त्याग पत्र देने पर
- 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. साधारण सभा

: संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य

: साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
- 2- वार्षिक बजट पारित करना।

ATTESTED BY

9.3.2006
NOTARY PUBLIC
CHOMU DIST. JAIPUR

3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

अध्यक्ष

अध्यक्ष

मंत्री

सचिव

कोषाध्यक्ष

स्व. कु. लक्ष्मी बंधाना निवासी, राज. सेवा में, भारत
गोविंद नगर

स्व. कु. लक्ष्मी बंधाना निवासी, राज. सेवा में, भारत
गोविंद नगर

(9)

10. साधारण सभा की बैठकें :
- 1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
 - 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
 - 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
 - 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
 - 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. अध्यक्ष-एक | 2. उपाध्यक्ष-एक |
| 3. मंत्री-एक | 4. कोषाध्यक्ष-एक |
| 5. सदस्य-सप्त | |

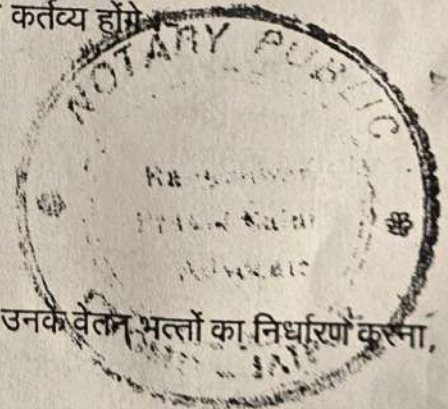
(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारी व सदस्य कुल सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :
- 1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
 - 2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
 - 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे-

- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
- 2- वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- 4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।
- 5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
- 6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
- 7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।



अध्यक्ष
अध्यक्ष

मंत्री
सचिव

ATTESTED BY (10)

स्व. कु. लक्ष्मी वसन्ता विद्या ऋषि सोय संस्थान
गोविन्दगढ़ (जयपुर)
9-2-2006
NOTARY PUBLIC

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
गोविन्दगढ़ (जयपुर)

14. कार्यकारिणी की
की बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के
पदाधिकारियों के
अधिकार व कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-

1- अध्यक्ष

- 1-बैठकों को आहूत करना।
- 2-मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
- 3-बैठकें आहूत करना।
- 4-संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
- 5-संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2- उपाध्यक्ष :

- 1-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- 2-प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3- मंत्री :

- 1-बैठकें आहूत करना।
- 2-कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
- 3-आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।
- 4-वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।
- 5-संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- 6-पत्र व्यवहार करना।
- 7-सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4- उपमंत्री :

- 1-मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।
- 2-अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मंत्री द्वारा सौंपे जावें।



अध्यक्ष
अध्यक्ष

मंत्री

(11)

कोषाध्यक्ष

स्व. कु. लक्ष्मी वधावा
गोवि

ATTESTED BY

9.2.2006

NOTARY PUBLIC

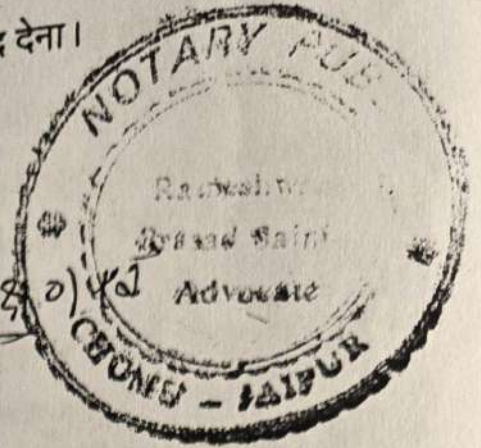
गोविन्दगढ़ (राजपुर)

गोविन्दगढ़ (राजपुर)



कोषाध्यक्ष :

- 1-वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- 2-दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
- 3-चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- 4-अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।



16. संस्था का कोष

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

- 1 संस्था का वार्षिक लेखा 702
- 2 संस्था का दैनिक लेखा 703
- 3 चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना 704
- 4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना 705
- 5 दिनांक 31/3/2018
- 6 हस्ताक्षर 31/3/2018

21/4/2018
21/4/2018

राज. संस्था का कोष

कोषाध्यक्ष

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की

विशेषाधिकार से एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

तक है, की स्वीकृति है।

1. नकल देने की तिथि 08-06-2018

2. नकल तैयार करने

वाले के हस्ताक्षर 31/3/2018

3. कोषाध्यक्ष 200/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की

संस्थानि युक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण

19. संस्था का विधान

में परिवर्तन

20. संस्था का विघटन

21. संस्था के लेखे जोखे

का निरीक्षण

राजस्थान संस्थाएं

को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने

का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली)

समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला

गोविन्दगढ़

अध्यक्ष

अध्यक्ष

मन्त्री

सचिव

कोषाध्यक्ष

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला

गोविन्दगढ़

अध्यक्ष

अध्यक्ष

मन्त्री

सचिव

ATTESTED BY

9.3.2006

NOTARY PUBLIC

CHOMU Dist. JAIPUR

(12)

गोविन्दगढ़

गोविन्दगढ़

गोविन्दगढ़

गोविन्दगढ़

गोविन्दगढ़

21 सदरद

31 मार्च 2006

9 अगस्त 2015

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता एवं अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था

स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बघाला

शिक्षा एवं शोध संस्थान

के सशपथ घोषणा करते हैं कि:-

1. हमारी संस्था का पंजीयन दिनांक है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य 24 है।
3. संस्था की आमसभा दिनांक को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीकृत विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ-पत्र के साथ सलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के लक्ष्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक की सूचना का नोटिस दिनांक को समस्त सदस्यों को सूचनाएं जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पर दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थाएँ, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष

अध्यक्ष

मंत्री

सचिव

कोषाध्यक्ष

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान, जयपुर के अध्यक्ष एवं शोध संस्थान

गोविन्द मठ (जयपुर)

सत्यापन

गोविन्द मठ (जयपुर)

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान, जयपुर के अध्यक्ष एवं शोध संस्थान

हम उपर्युक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 8 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपर्युक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएँ, जयपुर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष

अध्यक्ष

मंत्री

सचिव

कोषाध्यक्ष

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान, जयपुर के अध्यक्ष एवं शोध संस्थान

गोविन्द मठ (जयपुर)

गोविन्द मठ (जयपुर)

स्व. कु. लक्ष्मी बघाला शिक्षा एवं शोध संस्थान, जयपुर के अध्यक्ष एवं शोध संस्थान

ATTESTED BY

NOTARY PUBLIC
CHOMU Distt. JAIPUR

40 वर्षों से
मुद्रण के क्षेत्र में
नये आयाम
स्थापित करती
राजस्थान
की
शीर्ष
सहकारी
संस्था

राज्य सरकार के विभागों एवं सभी सहकारी संस्थाओं के मुद्रण के लिए अधिकृत
राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड
जी-1/138, मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302 017 फोन 2751352, 2751417

स्वर्गीय कुमारी लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान (गोविन्दगढ़) जयपुर

तुलनात्मक संशोधित विधान

क्र. सं.	विधान की धारा	धारा का शीर्षक	पूर्व में रजिस्टर्ड विधान में उल्लेख	संशोधित विधान में उल्लेख
1.	2	संस्था का उद्देश्य	संस्था का उद्देश्य	संस्था का उद्देश्य
2.	3	संस्था का उद्देश्य	10. उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य एवं शिक्षा एवं ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग, मेडिकल, फार्मेसी, विधि, इंजिनियरिंग, बी. एड. / एस.टी.सी. एवं मैनेजमेन्ट, <u>न. संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 की धारा 19 के तहत सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र</u> यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था खोलना व उनका संचालन शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र खोलना विषय में दाखिल कराये गये दस्तावेजों पर <u>पृष्ठ सं. से पृष्ठ सं. तक है, की सत्यप्रति है।</u>	10. उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं शिक्षा एवं ज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु विद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल, फार्मेसी, विधि, इंजिनियरिंग, बी.एड./एस.टी.सी. एवं मैनेजमेन्ट सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र खोलना व उनका संचालन करना।

1. नकल देने की दिनांक 04/08/2016
 2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर अमरेंद्र

रजिस्ट्रार संस्थासे
जयपुर

अध्यक्ष अध्यक्ष
 लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
 गोविन्दगढ़ (जयपुर)

सचिव सचिव
 स्व. कु. लक्ष्मी बधाला
 शिक्षा एवं शोध संस्थान
 गोविन्दगढ़ (चौमूं-जयपुर)

कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष
 स्व. कु. लक्ष्मी बधाला शिक्षा एवं शोध संस्थान
 गोविन्दगढ़ (जयपुर)